*एमएसएमई उधार की एबीसीडी**

एस.एस.मूंदड़ा

एमएसएमई वित्तपोषण पर इस दूसरे सम्मेलन में प्रारंभिक संबोधन हेतु आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मैं इस सम्मेलन के लिए 'वित्तीय पहुंच में बढ़ोतरी और सहयोग' के जरिए एमएसएमई वृद्धि को बढ़ाना विषय चुनने हेतु भारतीय औद्योगिक संघ की सराहना करता हूँ। यह विषय दो प्रमुख स्तंभों पर जोर देता है, जो इस क्षेत्र से संबंधित हैं , अर्थात - वित्तीय पहुंच को बढ़ाना और पर्याप्त सहयोग सुनिश्चित करना ताकि एमएसएमई तीव्र गति से वृद्धि करने में सक्षम हो सकें।

2. यह सर्वमान्य है कि छोटे कारोबार रोजगार पैदा करने के बेहतर माध्यम हैं। एआईएफसी/मैकीनसे अध्ययन में संपूर्ण विश्व में 420 से 510 मिलियन लोग एमएसएमई से संबंधित हैं, जिसमें, 360 से 440 मिलियन लोग अकेले उभरती बाजारों के हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी अनुमान लगाया है कि उभरती बाजारों में औपचारिक एसएमई की हिस्सेदारी कुल रोजगार में 45 प्रतिशत तक की है और राष्ट्रीय आय (जीडीपी) में इनकी हिस्सेदारी 33 प्रतिशत की है और ये संख्या उस समय काफी अधिक हो सकती है जब अनौपचारिक एसएमई को इसमें शामिल किया जाएगा। एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रकाशित एशिया एसएमई वित्त मॉनिटर 2014 में अनुमान किया गया है कि एशियाई क्षेत्र में सभी उद्यमों का 96 प्रतिशत हिस्सा एमएसएमई संवर्ग के तहत आता है, जो कि कार्य बल का लगभग 2/3 हिस्सा है और जीडीपी में 42 प्रतिशत का योगदान देता है।

3. 2015-16 की एमएसएमई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एमएसएमई क्षेत्र 51 मिलियन उद्यमों का नेटवर्क है जो 117.1 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है और भारत के जीडीपी[1] में 37.5 प्रतिशत का योगदान देता है। इसलिए इस क्षेत्र का विकास पूरे देश में भारी संख्या में रोजगार पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है, इससे भी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहां भारी संख्या में युवा और शिक्षित लोग हैं जो कि रोजगार की तलाश कर रहे हैं।

एमएसएमई - रोजगार सृजन के अलावा इसका महत्व

4. जहां रोजगार-सृजन सुनिश्चित रूप से जरूरी है, वहीं, छोटे कारोबार की भूमिका रोजगार प्रदान करने की तुलना में कहीं अधिक है। मैं यहां पर एमएसएमई क्षेत्र के दो प्रमुख योगदानों का उल्लेख करना चाहूंगा।

5. एक - एमएसएमई क्षेत्र उद्यमियता की नर्सरी और नवोन्मेश का स्कूल है। भारत में अनगिनत मध्यम और बड़े कार्पोरेट कम समय में सूक्ष्म और छोटे से विकसित हुए है। मेरा विश्वास है कि यहां पर अनेक ऐसे श्रोता हैं जो जिनके पास अपने खुद के कारोबार हैं, जिन्होंने अपना कारोबार सूक्ष्म और छोटे उद्यमों से ही प्रारंभ किया था।

6. दूसरा, एमएसएमई क्षेत्र वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय उद्देश्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। आइए, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आम तौर पर, जब हम वित्तीय समावेशन की बात करते हैं, तो हम अधिकांश वैयक्तिक अथवा ज्यादा से ज्यादा हाउसहोल्ड को ध्यान में रखकर करते हैं। तथापि, जहां तक मेरा मानना है कि वैश्विक वित्तीय समावेशन पर विचार नहीं किया जा सकता है, न ही तब तक प्राप्त किया जा सकता है जब कि यह न सुनिश्चित किया जाए कि इसमें सूक्ष्म और छोटे कारोबार को वित्तीय रूप से शामिल हैं। इन छोटे परिवारों अथवा वैयक्तिकों द्वारा चलाए जो प्रतिष्ठानों को औपचारिक वित्तीय माध्यमों से ऋण मिलने से इन कारोबारों में स्थायित्व आएगा और गरीबी को समाप्त करने में मदद मिलेगी और बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा।

7. उपर्युक्त बातों को सारांश में कहें तो मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि यह वही क्षेत्र है जो इस प्रकार के महत्वपूर्ण गतिविधियों के स्वरूप का विस्तार (बुल्वर्क) है तो सभी हितधारकों को इस बात के विवश करने के लिए अनेक कारण हैं कि वे वित्तीय संस्थानों, विनियामकों अथवा सरकार के साथ मिलकर समेकित रूप से प्रयास करें ताकि हमारे देश में एमएसएमई की वृद्धि को बढ़ाने के लिए उपयुक्त वातावरण सृजित की जा सके।

8. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अंतर-संबद्ध प्रणाली विकासित करने की जरूरत है जो एमएसएमई इकाइयों, विशेष

---

* 23 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में एमएसएमई निधियन पर दूसरे सीआईआई राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस. एस. मुंदड़ा द्वारा दिया गया प्रारंभिक संबोधन। इस लेख को तैयार करने में श्री जोश कडूर, सुश्री सुधा विश्वनाथन और संजीव प्रकाश द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया जाता है।

[1] वार्षिक रिपोर्ट, एमएसएमई मंत्रालय 2015-16।

रूप से प्रारंभिक अवस्था वाली इकाइयों का सहयोग और पोषण करने में मददगार साबित हो सकती है। साथ ही, अनुमति, निरीक्षण, अतिशय औपचारिकता जैसी अनेक बाद्धताओं को समाप्त करने की जरूरत है और कौशल विकास, आधारभूत सुविधाएं, बाजार, प्रौद्योगिकी इत्यादि के लिए अनेक सुविधा-प्रदाताओं की जरूरत है। तथापि, सभी सुविधा-प्रदाताओं में से संभवत: कोई भी ऋण से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। आईएफसी/ मैकिनसे ने वैश्विक स्तर पर औपचारिक और अनौपचारिक सभी एमएसएमई के लिए ऋण-अंतराल लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान किया है, जिसमें उभरती बाजारों में यह अंतराल 2.1 से 2.6. ट्रिलियन डॉलर तक रहने का अनुमान है।

उधार की एबीसीडी

9. जैसा कि मैंने कहा है कि ऋण एमएसएमई उद्यम का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। ऋण के लिए प्रावधान मुख्यत: चार प्रमुख मुद्दों पर निर्भर करते हैं जिसे मैं **उधार की एबीसीडी** कहना चाहूँगा। मैं इनमें प्रत्येक को अलग से लेता हूँ और स्पष्ट करता हूँ कि हम इन्हें सहज बनाने के लिए क्या कर रहे हैं।

ए) उधार का ए - पहुंच /उपलब्धता

10. एमएसएमई के चौथे अखिल भारतीय सर्वेक्षण से पता चलता है कि लगभग 90 प्रतिशत एमएसएमई अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं, जो कि हर तरह से बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है। यद्यपि उस सर्वेक्षण से पता चलता है कि औपचारिक वित्तीय माध्यमों से एमएसएमई द्वारा ऋण लेने में सुधार हुआ है; तथापि, यह अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। मौजूदा समय में सरकारी बैंकों की लगभग 3000 विशेषज्ञ शाखाएं हैं जो विशेष रूप से एमएसएमई इकाइयों को ऋण देती हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों ने उत्पाद और कार्य-पद्धति तैयार की है जिनके जरिए इन इकाइयों को ऋणों का संवितरण तेजी होता है। अधिकांश बैंकों ने केंद्रीयकृत ऋण मंजूरी को अपना लिया है जिससे कम समय में ऋण मिल जा रहा है। अनेक बैंकों में अपनी शाखाओं की ऋण मंजूरी सीमा को बढ़ा दिया है। जहां इस उपायों से पहुंच में सुधार हुआ है, वहीं अभी एमएसएमई[2] के लिए ऋण की बहुत अधिक मांग है जो कि पूरी नहीं हो पा रही है।[2] (एमएसएमई क्षेत्र में ₹32.5. ट्रिलियन (₹650 बिलियन) की कुल वित्त जरूरत है जिसमें ₹26 ट्रिलियन (₹520 बिलियन) ऋण मांग है और ₹6.5 ट्रिलियन (₹130 बिलियन) इक्विटी मांग शामिल है। मार्च 2016 को समाप्त अवधि के अनंतिम आँकड़ों के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र से बैंकिंग प्रणाली का कुल बकाया ऋण 20.6 मिलियन खातों में लगभग ₹11.1 ट्रिलियन है जबकि अनुमान के अनुसार 51 मिलियन एमएसएमई के लिए ऋण जरूरत ₹26 ट्रिलियन की है।

11. इस समस्या से महत्वपूर्ण हिस्सा बैंकिंग आउटलेट पर्याप्त मात्रा में न हैं। देश के दूर-दराज भागों में छोटे-छोटे उद्यम फैले हुए हैं जहां बैंकिंग की भौतिक शाखाएं नहीं हैं। साथ ही, कारोबार प्रतिनिधि प्रणाली का उस स्तर पर विस्तार नहीं हो पाया है जहां वे ऋण देने में अहम भूमिका अदा कर सकें। दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष उद्यमी की जरूरत के अनुसार किसी भी समय ऋण उपलब्ध होना चाहिए। छोटे उद्यमी में आघात सहने की क्षमता बहुत सीमित होती है और इसलिए उन्हें कारोबार में बने रहने के लिए समय पर ऋण उपलब्ध होना जरूरी होता है। अनेक कारणों से औपचारिक वित्तीय प्रणाली उद्यमियों की इस तत्काल जरूरत को पूरा करने में असमर्थ होती है। इन कारणों में भारी-भरकम प्रक्रियाएं, कारोबार माडल के बारे में जानकारी का अभाव, बैंकों की जरूरत को पूरा करने में उद्यमियों की अक्षमता इत्यादि शामिल हैं।

बी) 'बी' - बैंक और कारोबार

12. एबीसीडी में ऋण का **'बी'** मूल रूप से दो बी अर्थात **बैंक और कारोबार** के बीच सूचनाओं की असमानता होने को दर्शाता है।

यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट (2009) ने वित्तीय रूप से शिक्षित एसएमई स्वामी/प्रबंधक को इस प्रकार परिभाषित किया है - व्यक्ति जो जानता कि उसके कारोबार की विभिन्न वृद्धि-अवस्थाओं में उसके कारोबार के लिए अधिक उपयुक्त वित्तपोषण और वित्तीय प्रबंध-विकल्प क्या हैं; जो जानता है कि उसे अधिक उपयुक्त उत्पाद और सेवाएं कहां से मिल सकती है; तथा इन उत्पादों और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क करता है। वह कानूनी और विनियामक ढांचे और अपने अधिकारों और सहायक विकल्पों से भलीभाँति परिचित है।

13. मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि मौजूदा समय में अधिकांश एमएसएमई उद्यमी इन मानदंड़ों को पूरा नहीं करते

[2] 'भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्त', आईएफसी, विश्व बैंक समूह, नवंबर 2012।

है। एमएसएमई के संदर्भ में वित्तीय साक्षरता का जोर वैयक्तिक क्षमता पर है ताकि वे कारोबारी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं का उपयोग कर सकें। वित्तीय साक्षरता प्रभावी मुद्रा प्रबंधन के लिए जरूरी है और वित्तीय साक्षरता का स्तर कम होने से उपलब्ध वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को समझने में कठिनाइयां आती हैं। एमएसई उद्यमों को परिचालनगत कौशल, लेखा प्रणाली और वित्तीय कुशाग्रता, कारोबार रणनीति इत्यादि की जानकारी के अभाव में अड़चनों का भी सामना करना पड़ता है जो बैंकों/अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए ज्ञात होना जरूरी हैं।

14. तथापि, यह कोई एक पक्षीय नहीं है। हाल के वर्षों में बैंकों में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति ने भी एमएसएमई ऋण संविभाग को समझने, मूल्यांकन करने और निगरानी करने में क्षेत्र स्तर पर उपलब्ध सामूहिक कौशल समूहों को प्रभावित किया है। इस क्षेत्र में कम जानकारी के चलते कम या अधिक वित्त देने को टालते हैं जिससे एमएसएमई इकाइयों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से प्रतिकूल जीवन-चक्र की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सी) 'सी' संपार्श्विक जरूरत

15. औपचारिक वित्तीय संस्थाएं, विशेष रूप से बैंक एमएसएमई उधार को बहुत ही जोखिम वाला उधार मानते हैं क्योंकि उद्यमियों के पास इस प्रकार के उधार के लिए पर्याप्त संपार्श्विक नहीं होते हैं। प्रोजेक्ट प्रथमदृष्टया सही लगने के बावजूद ऋण अस्वीकार कर दिए जाते हैं। जहां इस समस्या से निपटने के लिए अनेक व्यवस्थाएं हैं, वहीं उधार संस्कृति विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मौजूदा स्तर के समान परिपक्व नहीं हुई हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में फर्म की आस्तियों की एवज में उधार दिया जाता है जिसमें उनकी चल आस्तियां शामिल हैं। इससे यह भी आवश्यक हो जाता है कि हम एक मजबूत वित्तीय ढांचे का निर्माण करें जो बैंकों को इन क्षेत्रों में ऋण देने हेतु इस बात के लिए सहयोग करें कि वे किसी प्रकार की चिंता किए और उधार को सुरक्षित करने के लिए उपलब्ध सभी प्रकार की आस्तियों का उपयोग किए बिना उधार करें। बैंकों को यह भी महसूस करना जरूरी है कि यद्यपि इस क्षेत्र में वैयक्तिक प्रतिष्ठानों को दिया गया ऋण एकल आधार पर अधिक जोखिम पूर्ण हो सकता है किंतु कार्पोरेट ऋण की तुलना में कम जोखिमपूर्ण है।

डी) 'डी' - प्रलेखीकरण

16. अनेक एमएसएमई ,विशेष रूप से, सूक्ष्म इकाइयों के पास औपचारिक वित्तीय प्रणाली के सख्त मानदंडों को पूरा के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं होते हैं। दस्तावेज के अभाव में छोटे उद्यमियों को अनौपचारिक स्रोतों, जो न्यूनतम दस्तावेज के आधार पर उधार प्रदान करने के इच्छुक होते हैं, से उधार लेना पड़ता है। तथापि, इसलिए एमएसएमई का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक है जो उद्यमियों के क्रेडिट स्कोर को कम करता है और उन्हें उधार देने की औपचारिक वित्तीय प्रणाली की क्षमता को प्रभावित करता है। बैंकों को स्वयं के स्तर आधुनिक प्रौद्योगिकी और इन आंकड़ों का लाभ लेने की आवश्यकता होगी ताकि वे परंपरागत दस्तावेजीकरण के अभाव में एक अच्छे उधारकर्ता और एक कम अच्छे उधारकर्ता के बीच अंतर कर सकें।

17. इस क्षेत्र के लिए वित्त देने संबंधी अनेक अड़चनों का विश्लेषण करने पश्चात अब मैं इस अंतरालों का कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार और अन्य उच्च संस्थाओं द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा करना चाहूंगा।

(i) पहुंच/उपलब्धता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में जहां औपचारिक वित्त की पहुंच दुर्लभ है।

18. नई संस्थाएं : जैसा कि आपको ज्ञात है कि दो नए पूर्ण बैंकों ने परिचालन शुरू कर दिया है, जबकि सैद्धांतिक मंजूरी दस प्रतिष्ठानों को लघु वित्त बैंक (एसएफबी) खोलने के लिए प्रदान किए गए थे जिनका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाएं पा रहे क्षेत्रों को उधार प्रदान करना था, इनमें छोटी कारोबार इकाइयां, लघु और अति लघु किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और असंगठित क्षेत्र शामिल हैं। इन लघु वित्त बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक उधार का 75 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र क्षेत्रों को देना अनिवार्य है। इनके ऋण पोर्टफोलियो में कम-से-कम 50 प्रतिशत हिस्सा ₹25 लाख तक के ऋण और अग्रिमों का होना चाहिए। अनेक एसएफबी को एमएफआई/एनबीएफसी के रूप में छोटे कारोबार करने का अनुभव है और हमें विश्वास है कि वे अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित नवोन्मेष लाने में समक्ष होंगे।

19. शाखा-विस्तार में वृद्धि/विशिष्ट शाखाएं : रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे चरणबद्ध तरीके से 5000 से

अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में भौतिक शाखाएं खोलें। अधिक परिपक्व बैंकिंग प्रतिनिधि प्रणाली के साथ ही, यह एमएसएमई, विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। भौतिक शाखा की उपस्थिति बढ़ने के अतिरिक्त, इन छोटे कारोबारों की ज़रूरतों को पूरा करने उपर्युक्त कौशल और ज्ञान युक्त बड़ी संख्या में बैंक अधिकारियों की भी जरूरत है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने प्रत्येक जनपद में विशिष्ट एमएसएमई शाखाएं पहले ही खोल दी है ताकि छोटे कारोबार की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। हम क्षेत्र स्तर पर शाखाओं की उद्यमी संवेदनशीलता और कौशल में सुधार करने के लिए पहले ही कार्य कर रहे हैं।

20. समकक्षीय (पी2पी) उधार : पी2पी कंपनी के रूप में एमएसएमई को उधार देने के लिए कई नई संस्थाओं का प्रवेश हुआ है। ये संस्थाएं एक ऑनलाइन प्लेटफार्म का प्रयोग करती है जिसमें गैर ज़मानती ऋणों और विशेष रूप से प्राप्य राशियों के प्रति वित्त के लिए ये उधारकर्ता के साथ ऋणदाता को मिला देती हैं। पी2पी वित्त में कम लागत वाले वित्त के वैकल्पित उपाय के रूप में एक बड़ी संभाव्यता है क्योंकि ये ऐसे जरूरतमंदों तक पहुंच सकता है जहां औपचारिक स्रोत पहुंच नहीं पाते हैं अथवा इन्हें उधार देने में इच्छुक नहीं होते हैं। रिज़र्व बैंक इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली को प्रभावित किए बिना विनियमित करने की आवश्यकता पर जोर देता रहा है और मौजूदा समय में पी2पी उधार संबंधित अंतिम दिशा-निर्देशों को जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

21. जीवन-काल मुद्दे के लिए नीतिगत हस्तक्षेप: हमने बैंकों को सूचित किया है कि वे अतिरिक्त उधार सीमा के लिए प्रावधान रखें ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उनके परिचालन के दौरान आने वाली वित्तीय कठिनाइयों का समाधान करके समय पर वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा सके। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे नियमित कार्यशील पूंजी सीमा की मध्यावधि समीक्षा करें और उधार लेने संबंधी निर्णय करें। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अधिकांश बैंकों ने पिछले एक साल अथवा लगभग इतने ही समय में समान प्रावधान लागू किए हैं।

22. **ऋणों की सह-शुरूआत:** जहां ऋण-पहुंच से संबंधित समस्या को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, वहीं कतिपय संरचनागत समस्याएँ हैं जिनके समाधान के लिए उन्हें थोड़ा समय लगेगा। इनमें से एक अंतिम छोर तक पहुंचने का मुद्दा है । जहां बैंकों को सुदूर गाँवों में भौतिक शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, वहीं हमें इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए कि वे हमेशा व्यवहार्य मूल्यांकन/ लागत प्रतिफल से प्रेरित रहना चाहिए। इस समस्या का एक संभव समाधान एक तरफ बैंक और दूसरी ओर एनबीएफसी, एमएफआई, जिनका इस संदर्भ में अनुभव है, स्थानीय स्थितियों और कारोबार व्यवहार्यता की बेहतर जानकारी, वैयक्तिकों की उधार पात्रता के बारे में बेहतर ज्ञान, उनकी चुकौती क्षमता इत्यादि के बीच प्रयासों का संमिलन हो सकता है। **क्या जोखिम प्रतिभागिता सहित बैंकों और एनबीएफसी/एमएफआई द्वारा ऋणों की पुन: शुरूआत के लिए कोई ढांचा तैयार कर सकते हैं?** जहां ये दोनों पक्षों के लिए उपयोगी साबित होगा, वहीं उधार लागत के संबंध में उद्यमियों को लाभ होगा जो समिश्रण के कारण काफी कम होगा। यह सूक्ष्म उद्यमों को सेवा प्रदान के लिए एक बहुत ही उपयुक्त ढांचा हो सकता है, विशेष कर उनके लिए जो उधार मिलने से वंचित हैं।

(ii) बैंक और कारोबार

23. अब मैं मेरा जोर बैंकों और कारोबारी कंपनियों के बीच सूचना असमानता को कम करने के लिए किए गए उपायों पर होगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि यह एक तरफा रास्ता नहीं है। छोटे उद्यमी को न केवल बैंकिंग उत्पादों और प्रथाओं की जानकारी का अभाव होता है, बल्कि अनेक बैंकिंग पदाधिकारियों को भी छोटे कारोबारों की परिचालन उधार ज़रूरतों की जानकारी भी कम होती है। इस मुद्दों को शामिल करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक अभियान के रूप में एक क्षमता-निर्माण पहल की शुरूआत की है जिसे एमएसएमई क्षेत्र संबंधी वित्तपोषण के लिए बैंकरों की क्षमता-निर्माण के लिए राष्ट्रीय मिशन कहा गया है। क्षेत्र स्तर पर कार्य करने वाले संस्थाओं को एमएसएमई वित्तपोषण के दो महत्वपूर्ण स्तंभों यथा - सामयिकता और उधार की पर्याप्तता के महत्व अवश्य समझना चाहिए। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले एक वर्ष में बैंक के लगभग 3300 पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम का प्रशिक्षण लिया है।

24. उधार सलाहकार :

24. रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई उधारकर्ताओं की सूचना असमानता को कम करने के लिए उधार सलाहकर्ताओं के

प्रमाणन के लिए एक प्रणाली की शुरूआत की है जिससे अपेक्षा है कि यह प्रणाली सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए सुविधा-प्रदाता एवं सहयोगकर्ता के रूप में सेवा प्रदान करेगी। चूंकि एमएसएमई को सामान्य तौर पर वित्तीय विवरण तैयार करने में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है और कम ऋण लेने वाले उद्यम होते हैं, इसलिए उधार सलाहकार परियोजना रिपोर्ट तैयार में उनकी मदद करेंगे और बैंकों को भी बेहतर जानकारी युक्त निर्णय लेने में भी मदद करेंगे।

25. एमएसएमई का पुनरुत्थान एवं पुनर्वास : तनावग्रस्त फर्मों का सहयोग करने की दिशा में किया जाने वाला एक उपाय एमएसएमई के पुनरुत्थान एवं पुनर्वास ढांचे से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करना है जो संभाव्य व्यवहार्य उद्यम, किंतु तनावग्रस्त उद्यम के पुनर्वास के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है । यह ढांचा एक तरह की संरचित प्रणाली होगी जो बैंकर द्वारा अथवा उद्यमी द्वारा तनाव के प्रारंभिक स्तर पर ही इसे लागू कर सकती है। समस्या समाधान के लिए इसे समिति के पास समयबद्ध अनुसूची के साथ भेजा गया है। मैं इसे एक शक्तिशाली साधन के रूप में मानता हूँ और बैंकरों से अनुरोध करता हूँ कि वे यथाशीघ्र इस प्रक्रिया को अपनाएं।

iii. कठिन 'सी' - उधार और संपार्श्विक

26. अनौपचारिक क्षेत्र से उधारकर्ता द्वारा उधार लिए बिना किसी ऋण को सुरक्षित करने में उचित शेष राशि प्राप्त करने का मुद्दा बैंकिंग प्रणाली के एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसका निवारण एक उचित संस्थागत ढांचा तैयार करके करने का प्रयास किया गया है। अब मैं, इस प्रयासों पर चर्चा करना चाहूंगा।

27. चल आस्ति पंजीकरण[3] : भूमि और भवन जैसी अचल आस्तियों के विपरीत चल आस्तियों में प्राय: अधिकांश निजी कंपनियों का पूंजी स्टाक होता है और इसमें भी विशेष रूप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का एक बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए, चल आस्तियां मुख्य प्रकार की प्रतिभूतियां हैं जो कंपनी बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए गिरवी रख सकती है। मुझे यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के साथ सक्रिय समन्वय करते हुए सीईआरएसएआई ने चल आस्ति पंजीकरण की स्थापना की है, जब यह प्रणाली परिपक्व होगी, उस समय इस क्षेत्र के वित्तपोषण पर बहुत अधिक अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

28. व्यापार प्राप्ति बट्टा प्रणाली (टीआरइडीएस) : एमएसएमई को भुगतान में देरी की समस्या का समाधान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने टीआरइडीएस प्रणाली के परिचालन के लिए तीन प्रतिष्ठानों को लाइसेंस दिया है। यह प्रणाली बहुत वित्त-प्रदाताओं के जरिए कार्पोरेट एवं अन्य खरीदारों, जिसमें सरकारी विभाग एवं सरकारी उद्यम शामिल हैं, से एमएसएमई उद्यमों की व्यापार प्राप्तियों के प्रति वित्त उपलब्ध कराएगी। इलेक्ट्रॉनिक वित्त फैक्टरिंग एक्सचेंज बनाने का उद्देश्य यह है कि इस प्रणाली के तहत बिल इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार की जाएं और उनका निपटान किया जाए ताकि किसी प्रकार की देरी के बिना एमएसएमई अपनी व्यापार प्राप्तियों को भुना सकें। यह आशा है कि टीआरइडीएस प्रणाली इसी चालू राजकोषीय वर्ष के भीतर शुरू हो जाएगी। **यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि टीआरइडीएस को शुरूआती स्तर पर कार्पोरेट एवं सरकारी उद्यमों के लिए अनिवार्य किया जाए। बाद में इसे सरकारी विभागों के लिए भी अनिवार्य कर दिया जाए। मैं इस चैंबर से अनुरोध करता हूँ कि एमएसएमई मंत्रालय इस पक्ष का मूल्यांकन करें क्योंकि टीआरइडीएस पहल की सफलता इस क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी साबित होगी।**

29. क्रेडिट गारंटी योजना की उपयोगिता : संपार्श्विक देने में छोटे उधारकर्ताओं की समस्याओं को महसूस करते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को 10 लाख तक के ऋण के लिए संपार्श्विक न मांगे। साथ ही, सीजीटीएमएसई की स्थापना की गई है ताकि सदस्य ऋणदाता संस्थाओं को प्रस्तावों की अर्थक्षम के आधार पर ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए न कि प्रतिभूति अर्थात गारंटी के आधार पर ऋण देने को प्रोत्साहित किया जाए। व्यावहारिक अनुभव के आधार पर मेरा मानना है कि इन प्रावधानों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। मैं इस पर विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा।

30. एक ओर, जहां, संपार्श्विक मुक्त ऋणों से संबंधित दिशा-निर्देश के कारण बैंक एमएसएमई उधारकर्ताओं ऋण देने से मना नहीं कर पाते हैं, वहीं दूसरी ओर क्रेडिट गारंटी के प्रावधानों के कारण उधार मूल्यांकन एवं ऋण देते समय बरती जाने वाली सावधानियों की गुणवत्ता खराब होने की संभावना है, परिणाम स्वरूप सीजीटीएमएसई के स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट रूप से दोनों परिणाम स्वीकार नहीं हैं।

[3] एचटीटीपी://ब्लाग.वर्ल्डबैंक.ऑर्ग/ऑलअबाउटफाइनेंस/डज-इंट्रोडक्शन-मोवेबल-कोलैटरल-रजिस्ट्रीज-इनक्रीज-फर्मस-ऐक्सेस-फाइनेंस

मैं इस बात की वकालत करना चाहूंगा कि उधारकर्ता को संपार्श्विक की उपलब्धता के लिए बेहतर ऋण-निर्धारण करके प्रतिपूर्ति की जाए। इसके अतिरिक्त **मैं यह भी मानता हूँ कि सीजीटीएमएसई पिछले कार्यनिष्पादन एवं वैयक्तिक पोर्टफोलियो से संबंधित समान जोखिम प्रीमियम रखने के बजाए जोखिम आधार मूल्यनिर्धारण ढांचा तैयार किया जाए। अंततोगत्वा, यह गतिविधि भी मुक्त बाजार प्रणाली की ओर जानी चाहिए।**

iv. भारी-भरकम 'डी' दस्तावेजीकरण

31. ऋण लेने संबंधी इतिहास न होने एवं दस्तावेज की जरूरत सूक्ष्म उद्यमियों को परंपरागत बैंकिंग से अनौपचारिक बैंकिंग क्षेत्र की ओर जाने के लिए विवश करती हैं। इसका समाधान कार्य पद्धति को सरल बनाकर और प्रौद्योगिकी का लाभ लेकर करना है।

32. सिडबी द्वारा स्थापित 'उद्यमी मित्र पोर्टल' स्टैंड-अप मित्र पोर्टल की आईटी संरचना का उपयोग करता है और इसका उद्देश्य एमएसएमई की वित्तीय और गैर वित्तीय सेवा की आवश्यकताओं के लिए पहुंच को आसान बनाना है। आभासी बाजार स्थल के रूप में यह पोर्टल उद्यमियों को न केवल ऋण प्रदान करने में पूरी तरह से मदद करता है, बल्कि अन्य प्रकार के सहयोग, आवेदन ट्रैकिंग, हितधारकों (अर्थात बैंक, सेवा प्रदाता, आवेदक) से संपर्क जैसी अनेक प्रकार की ऋण से संबंधित सेवाएं भी प्रदान करता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम इन गतिविधियों में प्रौद्योगिकी इंटरफेस का उपयोग और बढ़ेगा और बैंकिंग प्रणाली से एमएसएमई उधारकर्ताओं को ऋण मिलने में आसानी होगी। रिज़र्व बैंक समुचित सुरक्षा एवं उपभोक्ता संरक्षण उपायों सहित इस प्रकार की पहल में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

33. संघ की भूमिका : उद्यमी और औद्योगिक निकाय उधारकर्ता-बैंकर के बीच स्थापित करने और उसे बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह नए उद्यमियों को समर्थ और उनके क्षमता-निर्माण में सहायक हो सकता है। बीसीएसबीआई ने बैंकों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर पालन करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बैंक प्रतिबद्धता संहिता तैयार की है। औद्योगिक संघ को चाहिए कि वह सूचना असमानता को कम करने के लिए विनियामकों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा करें।

समापन

34. मैं एमएसएमई में वृद्धि बढ़ाने को दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। यहां शब्द 'बढ़ाने' का आशय आप लोगों ने इस क्षेत्र में तुरंत वृद्धि करने की आवश्यकता से लिया है। हमारी जनसांख्यिकीय हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विवश करती है। इस क्षेत्र में हम त्वरित गति से वृद्धि करें ताकि उद्यमी वित्त की चिंता किए बिना कारोबार प्रारंभ कर सकें और कारोबार कर सकें। हम इस व्यावहारिक बदलाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए रिजर्व बैंक, अन्य उच्च संस्थानों एवं हितधारकों द्वारा अनेक उपायों किए गए हैं। मैं सीआईआई और अन्य औद्योगिक निकायों को सुविधा-प्रदाता के रूप में इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

आप सभी को धन्यवाद।